"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 मार्च 2016 — फाल्गुन 12, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2016

संशोधन अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/22-1/2016. —विभागीय आदेश क्रमांक/पंचा/04/73/2012/54, दिनांक 09-02-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश की कंडिका 3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है :-

"3. गठन :- प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार होगा :-

(1)	माननीय मुख्यमंत्री	-	अध्यक्ष
(2)	माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा नामांकित	-	उपाध्यक्ष
(3)	राज्य मंत्रिमंडल के समस्त माननीय मंत्री गण	-	सदस्य
(4)	प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में आने वाले संसदीय क्षेत्रों के सांसद	-	सदस्य
(5)	प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में आने वाले निर्वाचित विधायक	-	सदस्य
(6)	संबंधित जिलों के जिला पंचायत-अध्यक्ष	-	सदस्य
(7)	मुख्य सचिव	-	सदस्य

(8)	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(9)	माननीय मुख्यमंत्रीजी के सचिव	-	सदस्य सचिव”

AMENDMENT NOTIFICATION

No. F 1-14/22-1/2016. — Chhattisgarh State Rural and Other Backward Class Area Development Authority is constituted vide Department Order No./Pancha/04/73/2012/54, Dated 09-02-2012. State Government hereby substitutes the following in place of item No. 3 of the said order :-

“3. Constitution :- Constitution of the Authority shall be as follows :-

(1)	Hon'ble Chief Minister	-	Chairperson
(2)	Nominated by Hon'ble Chief Minister	-	Deputy-Chairperson
(3)	All Hon'ble Ministers of the State Cabinet	-	Member
(4)	Members of Parliament from MP Constituencies under the jurisdiction of the Authority.	-	Member
(5)	Elected Members of Legislative Assembly under the jurisdiction of the Authority.	-	Member
(6)	All Zila Panchayat, Chairpersons from concerned districts.	-	Member
(7)	Chief Secretary	-	Member
(8)	Secretary, Department of Panchayat and Rural Development.	-	Member
(9)	Secretary to the Hon'ble Chief Minister	-	Member-Secretary”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.